गोविन्दी बनाम जगदीश (दावा)

क्रम संख्या	दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से
		~~गोविन्दी~~ ~~जगदीश~~
	11/1/22	पत्रावली पेश हुई। P.O.सा. दौरे / अन्य कार्य मे व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नही की जा सकी । पत्रावली दिनाक 17/1/22 को पेश हो ।
	17/1/22	पत्रावली पेश हुई। P.O.सा. दौरे / अन्य कार्य मे व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नही की जा सकी । पत्रावली दिनाक 21/02/22 को पेश हो ।
	21/2/22	पत्रावली आज पेश हुई। वकील उभयपक्ष हाजिर पत्रावली वास्ते न्यायालय हाजा. की पूर्व आदेशिका दिनांक 14/9/21 की पालना हेतु दिनांक 4/3/22 को पेश हो। [signature] उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)
	4/3/22	पत्रावली पेश हुई। P.O.सा. दौरे / अन्य कार्य मे व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नही की जा सकी । पत्र[illegible]नाक ~~16/5/22~~ [illegible]
	16/5/22	पत्रावली पेश हुई। P.O.सा. दौरे / अन्य कार्य मे व्यस्त रहने के कारण कार्यवाही नही की जा सकी । पत्रावली दिनाक 18/7/22 को पेश हो ।
[illegible]	27/5/22	पत्रावली आज वादीया गोविन्दी देवी के द्वारा प्रस्तुत प्रा०पत्र बाबत मिशल आज तलब किये जाने का पेश किये जाने उपरान्त पूर्व नियत पेशी दिनांक 18/7/22 से आज तलब की गई वादीया के द्वारा एक अन्य प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर उक्त प्रार्थना पत्र मे वर्णित तथ्यों को दोहराते हुए न्यायालय हाजा से निवेदन किया कि प्रार्थिया ने जिला एवं सत्र न्यायाधीश जयपुर महानगर जयपुर के यहाँ [signature] उप [illegible] अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)

दिनांक आज्ञा या कार्यवाही	आज्ञा विस्तृत रूप से	विशेष विवरण
	प्रोजेर प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया था उक्त प्रार्थना पत्र की भीवादीया आगे नही चलाना चाहती है। तथा उक्त प्रकरण मे वादग्रस्त भूमि की वसीयत मृतक व्यापदेवी ने जगदीश पुत्र ओंकार के हक मे दिनांक 15/11/2003 को सिवपादीत कर दी थी। प्रार्थीया को अब उक्त वसीयत से कोई आपत्ति नही है। तथा व्यापादेवी द्वारा की गई वसीयत दिनांक 15/11/2003 के मुताबिक नामान्तरकरण संख्या 910 के द्वारा जगदीश के हक मे नामान्तकरण खुल हुआ था जिससे भी प्रार्थीया को अब किसी प्रकार से कोई आपत्ति नही है ऐसी सूरत मे प्रार्थीया अपने उक्त वाद को आगे नही चलाना चाहती है अतः वादीया के द्वारा उक्त वाद को खारिज किये जाने हेतु न्यायालय हाजा से निवेदन किया न्यायालय हाजा के समक्ष वादीया के द्वारा सहमति स्वरूप वादपत्र की आदेशिका पर अंगूठा निशानी की गई जिनकी पहचान वादीया के श्री [illegible]राम व मिठूशर्मा के द्वारा की गई वादी के द्वारा पहचान स्वरूप आधार कार्ड की छाया प्रति भी पेश की एवं प्रार्थना पत्र के समर्थन मे शपथ पत्र भी पेश किया उपरोक्त विवेचन के आधार पर प्रार्थीया/वादीया के द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र को स्वीकार कर वादीया का वाद खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर पंजे नम्बर से कमी होने पर दाखिल दफ्तर हो। (हस्ताक्षर) उप खण्ड अधिकारी बस्सी (जिला जयपुर)	